



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 682]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 22, 2018/फाल्गुन 3, 1939

No. 682]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 2018/PHALGUNA 3, 1939

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2018

**का.आ. 774(अ).**— अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

### प्रारूप अधिसूचना

कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के कोडरमा जिले में 24°26' से 24°36' उत्तरी अक्षांश और पूर्व में 85°28' से 85°42' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह अभयारण्य वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अंतर्गत बिहार सरकार

की अधिसूचना संख्या का.आ. 148, दिनांक 25 जनवरी, 1985 के द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके आरक्षित वनों का क्षेत्रफल 150.628 वर्ग किलोमीटर में है।

**और**, राष्ट्रीय राजमार्ग-31 ने अभयारण्य को दो भागों में द्विभाजित किया है। यह छोटानागपुर पठार (एस डी) जैव-भौगोलिक क्षेत्र के दक्कन पठार प्रांत में स्थित है। इसमें चीतल, जंगली सूअर, रीछ, सियार, साही, लकड़बग्घा, खरगोश आदि का वास है। पलामू, चतरा एवं गिरिडीह के हाथी इस अभयारण्य के नाम से जाने जाते हैं। यहां महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियां जिसमें सरपेंट ईगल, पैराडाईस फ्लाई कैचर, किंगफिशर, वी-इटर स्विफ्ट, बैबलर के विभिन्न प्रकार, ब्लैक ड्रोंगो, कठफोड़वा, लैपविंग, पीफाउल, तालाब बगुला, इगरेट, आदि अक्सर दिखाई देते हैं। कभी कभी, मांसाहारी जैसे लोमड़ी और तेंदुआ भी दिखाई देते हैं। जंगली हाथी इस संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर और आसपास घूमते हैं, और कभी कभी गिरिडीह, चतरा और पलामू में भी प्रवास करते हैं। कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य तिलैया, हरहद, चंदा, हुराही, पिपरादाह और पिपराकोन नदी प्रणालियों के जलभृतों में स्थित है। संरक्षित क्षेत्र के वन वारिश को अवरोधित करके भूजल जलभृतों को रिचार्ज करने में मदद करते हैं। वन मृदा संरक्षण को न्यूनतम करके नदियों और जलधाराओं में गादजमाव से उन्हें सुरक्षित रखते हैं।

**और**, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य में देश में अभ्रक का सबसे समृद्ध भंडार है। इस संरक्षित क्षेत्र में चैम्पियन एवं सेठ वर्गीकरण के अनुसार, वनों के विविध प्रकारों- 5बी/ सी 1 उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन, 5बी/सी2 उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, 5/डी.एस. शुष्क पर्णपाती झाड़ी वन और (5/ई2) बोसवेलिया वन की मौजूदगी है। कोडरमा अभयारण्य के वनों में स्तनधारियों की 14 प्रजातियां, पक्षियों की 35 से अधिक प्रजातियों और सरीसृपों की 9 प्रजातियों के लिए उत्कृष्ट पर्यावास हैं।

**और**, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है।

**अतः**, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मिजोरम राज्य में कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 5.0 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

#### 1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.-

- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर शून्य (अन्तरराज्यीय सीमा के कारण) से 5 किलोमीटर तक है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 133.247 वर्ग किलोमीटर है।
- (2) कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** में दिया गया है।
- (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध IIक-ख** के रूप में संलग्न है।

(4) कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न है।

**2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.**-(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

- i. पर्यावरण और वन विभाग;
- ii. शहरी विकास;
- iii. पर्यटन, नगरपालिका;
- iv. राजस्व;
- v. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) आंचलिक महायोजना के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित तथा संवर्धित किया जायेगा।

(10) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगा ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग** – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए, कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग तथा पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और
- (v) प्रोत्साहन दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप:

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

(ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण के तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत-** सभी प्राकृतिक जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और पुनरुद्धार की योजना सम्मिलित की जाएगी और इन क्षेत्रों या आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक प्रतिषिद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन** – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

- (i) कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजार्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजार्टों की स्थापना अनुज्ञात की जाएगी।
- (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।
- (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिजार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति- क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**– पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन**:- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन**:- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट**:- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात**:- सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

#### 4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले या बढ़ावा दिए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची -

पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:—

#### सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
<b>क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोड़कर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ;  (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।

2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले नए तेल और गैस खोज उद्योगों सहित उद्योगों की स्थापना।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	नई आरा मिलों और काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
9.	ईट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
<b>विनियमित क्रियाकलाप</b>		
10.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की



		<p>व्यवस्था; और</p> <p>(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढावा दिए गए क्रियाकलाप।</p> <p>(ख) परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।</p> <p>(ग) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
12.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
13.	फार्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
14.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।
15.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।</p>
16.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
17.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल बिछाने को बढावा दिया जाएगा।
18.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	इसकी व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	ये कार्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जाएंगे।
20.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
21.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
22.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्त्राव का	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्त्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास

	निस्सारण ।	किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट/ जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
<b>संबंधित क्रियाकलाप</b>		
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और औपधीय पौधों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनो/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

**5. निगरानी समिति-** केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए प्रथम निगरानी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

- |       |  |           |
|-------|--|-----------|
| (i)   | आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर संभाग, हजारीबाग  | -अध्यक्ष; |
| (ii)  | राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि  | -सदस्य;   |
| (iii) | गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, (विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय) जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा | -सदस्य;   |
| (iv)  | झारखंड के वन और पर्यावरण विभाग द्वारा नामांकित प्रतिनिधि   | -सदस्य;   |
| (v)   | राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला जैव विविधता का एक विशेषज्ञ   | -सदस्य;   |

(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	-सदस्य;
(vii)	संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी	-सदस्य सचिव।

## 6. विचारार्थ विषय:-

- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
  - (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
  - (3) निगरानी समिति वास्तविक विशिष्ट दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आते हैं। इनमें वे क्रियाकलाप शामिल नहीं हैं जो इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट हैं तथा जिन्हे केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
  - (4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल-विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा करके उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।
  - (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।
  - (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
  - (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध IV** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
  - (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
- 7.** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
- 8.** इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्याधीन होंगे।

[फा.सं. 25/67/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

**उपाबंध ।****संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण**

**उत्तर:-** बिहार (बिहार का नवादा जिला) और झारखंड (झारखंड का कोडरमा जिला) के साथ अंतरराज्यीय सीमा ।


**पूर्व:-** जमतारा, धुबा, नलवा, गोलगो, रुपनदीह, मधुवन और दोमचांच का पूर्वी भाग, तेतरैयादिह और नेरपुर राजस्व ग्रामों का दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग।

**दक्षिण:-** सलाईदीह का दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग, जरितैर का दक्षिणी भाग और मालकोको का दक्षिण और दक्षिणी-पश्चिम भाग और इसके बाद कोडरमा-दोमचंचा सड़क के साथ सीमा लोकाई ग्राम तक।

**पश्चिम:-** कोडरमा नगर पश्चिमी भाग में बरहोरिया के बाद, बेलातर का दक्षिणी भाग, हथवाधारन, मेघातरी, विशुनपुर, झरकी और पिछली राजस्व ग्रामों की पश्चिमी सीमा।


**उपाबंध-1।क**

**अक्षांश और देशांतर के मुख्य अवस्थानों के साथ कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र**



**उपाबंध-11ख**

**टी ओ आई में अक्षांश और देशांतर के मुख्य अवस्थानों के साथ कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र**



## उपाबंध-III

## सारणी क: कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर

बिंदु	अक्षांश	देशांतर
पी-1	24° 30' 7" उ	85° 30' 19" पू
पी-2	24° 31' 22" उ	85° 31' 47" पू
पी-3	24° 33' 34" उ	85° 33' 1" पू
पी-4	24° 34' 33" उ	85° 34' 15" पू
पी-5	24° 35' 42" उ	85° 36' 4" पू
पी-6	24° 34' 34" उ	85° 38' 57" पू
पी-7	24° 32' 13" उ	85° 39' 41" पू
पी-8	24° 30' 4" उ	85° 39' 49" पू
पी-9	24° 29' 2" उ	85° 39' 35" पू
पी-10	24° 28' 30" उ	85° 38' 59" पू
पी-11	24° 28' 12" उ	85° 37' 46" पू
पी-12	24° 28' 58" उ	85° 37' 4" पू
पी-13	24° 28' 41" उ	85° 35' 56" पू
पी-14	24° 27' 51" उ	85° 33' 54" पू
पी-15	24° 27' 38" उ	85° 32' 27" पू
पी-16	24° 29' 28" उ	85° 31' 32" पू
पी-17	24° 29' 40" उ	85° 31' 28" पू
पी-18	24° 29' 45" उ	85° 31' 26" पू
पी-19	24° 29' 49" उ	85° 31' 22" पू
पी-20	24° 29' 60" उ	85° 30' 40" पू

## सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर

बिंदु	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
पी-1	24° 35' 59" उ	85° 34' 57" पू
पी-2	24° 35' 16" उ	85° 36' 52" पू
पी-3	24° 34' 42" उ	85° 38' 18" पू
पी-4	24° 34' 27" उ	85° 40' 54" पू
पी-5	24° 33' 47" उ	85° 42' 7" पू
पी-6	24° 31' 44" उ	85° 41' 53" पू
पी-7	24° 29' 40" उ	85° 42' 22" पू
पी-8	24° 29' 29" उ	85° 41' 23" पू
पी-9	24° 28' 19" उ	85° 40' 58" पू
पी-10	24° 28' 7" उ	85° 40' 28" पू
पी-11	24° 28' 3" उ	85° 39' 17" पू
पी-12	24° 27' 11" उ	85° 38' 8" पू
पी-13	24° 27' 54" उ	85° 37' 23" पू
पी-14	24° 28' 31" उ	85° 36' 29" पू

पी-15	24° 28' 49" उ	85° 36' 10" पू
पी-16	24° 27' 41" उ	85° 34' 20" पू
पी-17	24° 27' 6" उ	85° 33' 30" पू
पी-18	24° 27' 45" उ	85° 32' 10" पू
पी-19	24° 28' 9" उ	85° 31' 20" पू
पी-20	24° 28' 20" उ	85° 29' 50" पू
पी-21	24° 28' 54" उ	85° 28' 29" पू
पी-22	24° 30' 34" उ	85° 28' 43" पू
पी-23	24° 31' 14" उ	85° 29' 45" पू
पी-24	24° 32' 19" उ	85° 29' 12" पू
पी-25	24° 31' 43" उ	85° 30' 39" पू
पी-26	24° 32' 35" उ	85° 32' 41" पू
पी-27	24° 33' 31" उ	85° 33' 47" पू
पी-28	24° 35' 16" उ	85° 34' 1" पू

## उपाबंध IV

## सारणी क: कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम के नाम	प्रशासन खंड	कुल जनसंख्या	वन भूमि (हेक्टेयर)	अन्य सरकारी भूमि	कृषि भूमि (हेक्टेयर)	जीपीएस निर्देशांक
1	2	3	5	9	10	11	12
1	पसिया	दोमचांच	624	86.92	127.00	4.12	24.5636 उ, 85.6603 पू
2	चाक	दोमचांच	77	45.47	60.00	1.75	24.5618 उ, 85.6696 पू
3	जामतारा	दोमचांच	17	37.28	84.00	41.70	24.5752 उ, 85.6668 पू
4	धुवा	दोमचांच	476	116.88	160.00	3.53	24.5702 उ, 85.6672 पू
5	नलवा	दोमचांच	401	662.62	40.14	60.21	24.5592 उ, 85.6881 पू
6	हरैया	दोमचांच	278	29.71	25.56	38.34	24.5504 उ, 85.6803 पू
7	चिलानगिया	दोमचांच	279	92.20	182.61	2.30	24.5509 उ, 85.6684 पू
8	समासिहरिया	दोमचांच	281	12.81	35.00	3.00	24.5459 उ, 85.6611 पू
9	जामुनियातानर	दोमचांच	228	343.72	371.00	2.85	24.5359 उ, 85.6724 पू
10	कुसाहना	दोमचांच	413	163.43	179.00	1.89	24.5234 उ, 85.6650 पू
11	गोलगो	दोमचांच	171	671.15	69.73	46.49	24.5245 उ, 85.6904 पू
12	मधुवन	दोमचांच	2235	55.51	239.00	16.19	24.4992 उ, 85.6983 पू
13	रुपनदिह	दोमचांच	880	85.65	35.10	54.23	24.5030 उ, 85.6890 पू
14	टेटरियादिह	दोमचांच	2320	94.46	193.00	98.29	24.4719 उ, 85.6705 पू
15	नेरपुर	दोमचांच	218	0.00	34.32	51.47	24.4719 उ, 85.6705 पू
16	दोमचांच	दोमचांच	13243	305.19	314.02	732.71	24.4923 उ, 85.6807 पू

17	लंगरापारस	दोमचांच	0	364.62	365.62	0.00	24.4996 उ, 85.6707 पू
18	महकुण्डी	दोमचांच	0	260.99	261.00	0.00	24.5130 उ, 85.6719 पू
			<b>22141</b>	<b>3428.61</b>	<b>2776.1</b>	<b>1159.07</b>	
19	पिछली	कोडरमा	12	131.78	306.83	172.00	24.5332 उ, 85.4930 पू
20	बेलातौर	कोडरमा	179	0.90	122.00	0.05	24.4804 उ, 85.4815 पू
21	जरगा	कोडरमा	883	912.92	88.00	131.99	24.5002 उ, 85.4909 पू
22	बरहोरिया	कोडरमा	34	34.17	12.57	29.83	24.4781 उ, 85.4953 पू
23	झरितौर	कोडरमा	1087	10.23	32.17	75.06	24.4623 उ, 85.6419 पू
24	सलाईदिह	कोडरमा	1185	11.85	144.00	0.00	24.4703 उ, 85.6461 पू
25	गेनडवादिह बिस्नुपुरे	कोडरमा	404	34.00	31.28	54.42	24.4725 उ, 85.6596 पू
26	झरकी	कोडरमा	307	387.85	494.46	87.63	24.5261 उ, 85.5047 पू
27	धोधारपानी	कोडरमा	0	1.19	100.00	0.00	24.4886 उ, 85.5020 पू
28	मेघातरी	कोडरमा	102	0.16	33.00	0.00	24.4898 उ, 85.4803 पू
29	हथवाधरान	कोडरमा	707	0.65	94.00	0.02	24.4847 उ, 85.4863 पू
30	करहरिया	कोडरमा	15	176.08	223.24	22.92	24.4813 उ, 85.6588 पू
31	मालकोको	कोडरमा	5	37.3	223.00	91.26	24.4609 उ, 85.6301 पू
			<b>4920</b>	<b>1739.08</b>	<b>1904.55</b>	<b>665.18</b>	
		<b>कुल योग</b>	<b>27061</b>	<b>5167.69</b>	<b>4680.65</b>	<b>1824.25</b>	

## शामिल किए गए ग्राम :

क्र. सं.	ग्राम के नाम	प्रशासन खंड	परिवार	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	वन भूमि (हेक्टे.)	अन्य सरकारी भूमि	कृषि भूमि (हेक्टे.)	जीपीएस निर्देशांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कोडरमा पुराना रिजर्व वन (फुलावारिया और दुमरियारातैंद)	कोडरमा	45	350	0	155	195	11625.12	109.80	77.35	24.4808 उ, 85.5827 पू
2	चितरपुर	कोडरमा	122	721	31	54	636		144.00	11.83	24.4796 उ, 85.6505 पू
3	कोडरमा नया रिजर्व वन	कोडरमा	-	-	-	-	-		-	-	
4	महौतैंद	कोडरमा	-	-	-	-	-		198	4.86	24.4709 उ, 85.5676 पू
5	लोकई	कोडरमा	318	1788	177	161	1450		157	13.47	24.4749 उ, 85.6207 पू
6	बेहरवातैर	कोडरमा	175	1060	236	0	824		-	65.27	
7	बाघितैर	कोडरमा							-	-	24.5290 उ, 85.5997 पू
8	छतरबार/चेचई	कोडरमा	917	5663	493	35	5135		54.87	18.14	24.4615 उ, 85.5573 पू
9	चिल्लीतैर	कोडरमा	1	12	-	-	12	2896.95	-	-	24.4631 उ, 85.5472 पू
10	सेमरातरी	कोडरमा	1	15	-	-	15		59.4	15.6	24.4814 उ, 85.5461 पू
11	दुबराजपुर	कोडरमा	-	-	-	-	-		-	-	24.4724 उ, 85.5387 पू



12	रंघीनतैर	कोडरमा	-	-	-	-	-	-	-	24.4825 उ, 85.5338 पू	
13	जंगल सरकार	कोडरमा	-	-	-	-	-	-	-	24.4763 उ, 85.5530 पू	
14	करहरिया	कोडरमा	62	359	62	0	297	41.67	97.21	24.5860 उ, 85.5817 पू	
15	मेघातरी	कोडरमा	402	2191	1369	7	815	394.85	29.90	6.22	24.5768 उ, 85.5741 पू
16	बिसन्तिकर	कोडरमा	126	622	129	0	593		177.41	45.30	24.5757 उ, 85.5847 पू
17	बिसन्पुर	कोडरमा	94	573	0	0	573	145.85	20.00	107.00	24.5189 उ, 85.5187 पू
18	सपहा	कोडरमा	7	61	43	0	18		3.87	37.44	24.5187 उ, 85.5316 पू
19	इन्दरवा	कोडरमा	317	2109	261	1	1847		137.00	19.50	24.4738 उ, 85.6361 पू
		<b>कुल</b>	<b>2587</b>	<b>15524</b>	<b>2801</b>	<b>413</b>	<b>12410</b>	<b>15062.77</b>	<b>1132.92</b>	<b>519.19</b>	

**उपाबंध V****पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्र**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
7. पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st February, 2018

**S.O.774(E).**—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in)

**Draft Notification**

**WHEREAS**, the Koderma Wildlife Sanctuary lies between latitudes 24<sup>0</sup>26' to 24<sup>0</sup>36' North and longitudes 85<sup>0</sup>28' to 85<sup>0</sup>42' East in Koderma district of Jharkhand. This sanctuary was notified under section 18 of Wildlife (Protection) Act, 1972 by Bihar Govt. vide its notification no. S.O. 148, dt. 25-01-1985. It extends over an area of 150.628 sq. km of reserve forests.

**AND WHEREAS**, National Highway - 31 bisects the sanctuary into two halves. It is located in the Deccan Plateau province of Chotanagpur Plateau (SD) bio-geographic zone. The habitat is shared by cheetals, wild boars, sloth bears, jackals, porcupines, hyaenas, hares, etc. The elephants of Palamu, Chatra & Giridih are known to move through this sanctuary. The important bird species which can be frequently spotted are serpent eagle, paradise fly catcher, kingfisher, bee-eater, swift, different types of babbler, black drongo, wood pecker, lapwing, peafowl, pond heron, egret, etc. Sometimes, carnivores like wolves and leopards are also spotted. Wild elephants move in and around this PA and, sometimes, migrate up to Giridih, Chatra and Palamu. Koderma wildlife sanctuary lies in the catchments of Tilaiya, Harhad, Chanda, Hurrahi, Piparadah and Piparakon river systems. The forests of this protected area intercept rainfall and help recharge ground water aquifers. The forests also protect rivers and streams against silting by minimizing soil erosion.

**AND WHEREAS**, the Koderma Wildlife Sanctuary has the richest deposits of mica in the country. The protected area is home to diverse types of forest, i.e. 5B/C1 - Northern Tropical Dry Peninsular Sal Forest, 5B/C2 Northern Tropical Dry Mixed Deciduous Forest, 5/DS Dry Deciduous Scrub Forest and (5/E2) Boswellia Forest as per Champion and Seth's classification. The forests of Koderma sanctuary are an excellent habitat for signification populations of 14 species of mammals, more than 35 species of birds and 9 species of reptiles.

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Koderma Wildlife Sanctuary, as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

**NOW THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent 5.0 kms around the boundary of Koderma Wildlife Sanctuary in the districts of Koderma as the Koderma Wildlife Sanctuary, Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

**1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –**

- (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from zero (due to Inter-State boundary) to 5 kms around the Koderma Wildlife Sanctuary. The area of Eco-sensitive Zone is 133.247 square kilometres.
- (2) The boundary description of Koderma Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-I**.
- (3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II A-B**.
- (4) The geo-coordinates of Koderma Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-III**.
- (5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IV**.

**2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-**

- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-
- i. Department of Environment and Forests;
  - ii. Urban Development;
  - iii. Tourism, Municipal;
  - iv. Revenue;
  - v. Jharkhand State Pollution Control Board.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

**3. Measures to be taken by the State Government** - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

**(1) Land use. –**

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.
- (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
  - i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
  - ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
  - iii. Small scale industries not causing pollution;
  - iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
  - v. Promoted activities and given under para 4.
- (c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

- (d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:
- (e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.
- (f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism/ Eco-tourism**
- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- i. No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Koderma Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
  - ii. all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
  - iii. Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.
- (8) **Discharge of effluents.** - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.** - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

- (a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) Bio-medical waste.** – Bio medical waste management shall be as under:
- (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (11) Plastic Waste Management.** - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (12) Construction and Demolition Waste Management.** - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (13) E-waste.** - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.
- (14) Vehicular traffic.** – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) Vehicular Pollution.** - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.
- (16) Industrial Units.** –
- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) Protection of Hill Slopes.** - The protection of hill slopes shall be as under:
- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
- (b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.**- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of

1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

**TABLE**

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
<b>Prohibited activities</b>		
1.	Commercial Mining	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities.  (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.)	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted.  Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Setting of new saw mills and wood based industries.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
<b>Regulated activities</b>		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities:  Provided that, beyond one kilometre from the boundary of

		the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities	<p>(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;</li> <li>(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;</li> <li>(iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016;</li> <li>(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and</li> <li>(v) Promoted activities listed in this Notification.</li> </ul> <p>(b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
12.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
13.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
14.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Felling of Trees	<p>(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>

16.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
18.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial use and extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management /Bio-medical Waste Management	Regulated under applicable laws
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Use of Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
29.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws
<b>Promoted activities</b>		
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
35.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals	Shall be actively promoted
37.	Use of Eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development	Shall be actively promoted.



39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee.-** In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 (1) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes the first Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco- Sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

- |      |  |                   |
|------|--|-------------------|
| i.   | Commissioner, North Chhotanagpur Division, Hazaribagh-   | Chairperson;      |
| ii.  | Representative of State Pollution Control Board-   | Member;           |
| iii. | One representative of non-Governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the State Government- | Member;           |
| iv.  | A representative nominated by the Forest & Environment Department of Jharkhand-  | Member;           |
| v.   | An expert in Biodiversity to be nominated by the State Government-   | Member;           |
| vi.  | An expert in Ecology and environment to be nominated by the State Government-  | Member;           |
| vii. | In-charge Protected Area-  | Member Secretary. |

**6. Terms of Reference. –**

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/67/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR , Scientist 'G'

ANNEXURE- I

#### BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

**North:-**Inter-State Border with Bihar (Nawada district of Bihar) and Jharkhand (Koderma district of Jharkhand)


**East:-**Eastern part of *Jamtara, Dhuba, Nalwa, Golgo, Rupandih, Madhuban* and *Domchanch*, South and Southern-East part *Tetariadih* and *Nerpur* Revenue Villages.

**South:-**South and Southern-East part of *Salaidih*, Southern part of *Jharitanr* and South and Southern-West part of *Malkoko* and thereafter the Border with Koderma-Domchanch road till *Lokai* Village.

**West:-**Koderma town is in western part followed by *Barhoria*, Southern part of *Belatanr*, Westren part of *Hathwadharan, Meghatari, Bishunpur, Jharki* and *Pichhli* Revenue Villages.


ANNEXURE- IIA

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KODERMA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KODARMA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS IN TOI



**ANNEXURE-III****TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Koderma Wildlife Sanctuary**

Points	Latitude	Longitude
P-1	24° 30' 7" N	85° 30' 19" E
P-2	24° 31' 22 N	85° 31' 47" E
P-3	24° 33' 34" N	85° 33' 1" E
P-4	24° 34' 33" N	85° 34' 15" E
P-5	24° 35' 42" N	85° 36' 4" E
P-6	24° 34' 34" N	85° 38' 57" E
P-7	24° 32' 13" N	85° 39' 41" E
P-8	24° 30' 4" N	85° 39' 49" E
P-9	24° 29' 2" N	85° 39' 35" E
P-10	24° 28' 30" N	85° 38' 59" E
P-11	24° 28' 12" N	85° 37' 46" E
P-12	24° 28' 58" N	85° 37' 4" E
P-13	24° 28' 41" N	85° 35' 56" E
P-14	24° 27' 51" N	85° 33' 54" E
P-15	24° 27' 38" N	85° 32' 27" E
P-16	24° 29' 28" N	85° 31' 32" E
P-17	24° 29' 40" N	85° 31' 28" E
P-18	24° 29' 45" N	85° 31' 26" E
P-19	24° 29' 49" N	85° 31' 22" E
P-20	24° 29' 60" N	85° 30' 40" E

**TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone**

Points	Latitude(N)	Longitude (E)
P-1	24° 35' 59" N	85° 34' 57" E
P-2	24° 35' 16" N	85° 36' 52" E
P-3	24° 34' 42" N	85° 38' 18" E
P-4	24° 34' 27" N	85° 40' 54" E
P-5	24° 33' 47" N	85° 42' 7" E
P-6	24° 31' 44" N	85° 41' 53" E
P-7	24° 29' 40" N	85° 42' 22" E
P-8	24° 29' 29" N	85° 41' 23" E
P-9	24° 28' 19" N	85° 40' 58" E
P-10	24° 28' 7" N	85° 40' 28" E
P-11	24° 28' 3" N	85° 39' 17" E
P-12	24° 27' 11" N	85° 38' 8" E
P-13	24° 27' 54" N	85° 37' 23" E
P-14	24° 28' 31" N	85° 36' 29" E
P-15	24° 28' 49" N	85° 36' 10" E

P-16	24° 27' 41" N	85° 34' 20" E
P-17	24° 27' 6" N	85° 33' 30" E
P-18	24° 27' 45" N	85° 32' 10" E
P-19	24° 28' 9" N	85° 31' 20" E
P-20	24° 28' 20" N	85° 29' 50" E
P-21	24° 28' 54" N	85° 28' 29" E
P-22	24° 30' 34" N	85° 28' 43" E
P-23	24° 31' 14" N	85° 29' 45" E
P-24	24° 32' 19" N	85° 29' 12" E
P-25	24° 31' 43" N	85° 30' 39" E
P-26	24° 32' 35" N	85° 32' 41" E
P-27	24° 33' 31" N	85° 33' 47" E
P-28	24° 35' 16" N	85° 34' 1" E

**ANNEXURE-IV****LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF KODERMA WILDLIFE SANCTUARY**

Sl. No.	Name of Village	Admm Block	Total Population	Forest Land (hac.)	Other Govt.Land	Agricltural Land (hac.)	GPS -Co-ordinets
1	2	3	5	9	10	11	12
1	Pasia	Domchanch	624	86.92	127.00	4.12	24.5636 N, 85.6603 E
2	Chak	Domchanch	77	45.47	60.00	1.75	24.5618 N, 85.6696 E
3	Jamtara	Domchanch	17	37.28	84.00	41.70	24.5752 N, 85.6668 E
4	Dhuba	Domchanch	476	116.88	160.00	3.53	24.5702 N, 85.6672 E
5	Nalwa	Domchanch	401	662.62	40.14	60.21	24.5592 N, 85.6881 E
6	Haraia	Domchanch	278	29.71	25.56	38.34	24.5504 N, 85.6803 E
7	Chilangia	Domchanch	279	92.20	182.61	2.30	24.5509 N, 85.6684 E
8	Samasiharia	Domchanch	281	12.81	35.00	3.00	24.5459 N, 85.6611 E
9	Jamuniatanr	Domchanch	228	343.72	371.00	2.85	24.5359 N, 85.6724 E
10	Kusahna	Domchanch	413	163.43	179.00	1.89	24.5234 N, 85.6650 E
11	Golgo	Domchanch	171	671.15	69.73	46.49	24.5245 N, 85.6904 E
12	Madhuban	Domchanch	2235	55.51	239.00	16.19	24.4992 N, 85.6983 E
13	Rupandih	Domchanch	880	85.65	35.10	54.23	24.5030 N, 85.6890 E
14	Tetariadih	Domchanch	2320	94.46	193.00	98.29	24.4719 N, 85.6705 E
15	Nerpur	Domchanch	218	0.00	34.32	51.47	24.4719 N, 85.6705 E
16	Domchanch	Domchanch	13243	305.19	314.02	732.71	24.4923 N, 85.6807 E
17	Langraparas	Domchanch	0	364.62	365.62	0.00	24.4996 N, 85.6707 E
18	Mahkundi	Domchanch	0	260.99	261.00	0.00	24.5130 N, 85.6719 E
			<b>22141</b>	<b>3428.61</b>	<b>2776.1</b>	<b>1159.07</b>	
19	Pichhli	Koderma	12	131.78	306.83	172.00	24.5332 N, 85.4930 E
20	Belatanr	Koderma	179	0.90	122.00	0.05	24.4804 N, 85.4815 E
21	Jarga	Koderma	883	912.92	88.00	131.99	24.5002 N, 85.4909 E
22	Barhoria	Koderma	34	34.17	12.57	29.83	24.4781 N, 85.4953 E
23	Jharitanr	Koderma	1087	10.23	32.17	75.06	24.4623 N, 85.6419 E
24	Salaidih	Koderma	1185	11.85	144.00	0.00	24.4703 N, 85.6461 E

25	Gendwadih Bisunpure	Koderma	404	34.00	31.28	54.42	24.4725 N, 85.6596 E
26	Jharki	Koderma	307	387.85	494.46	87.63	24.5261 N, 85.5047 E
27	Dhodharpania	Koderma	0	1.19	100.00	0.00	24.4886 N, 85.5020 E
28	Meghatari	Koderma	102	0.16	33.00	0.00	24.4898 N, 85.4803 E
29	Hathwadharan	Koderma	707	0.65	94.00	0.02	24.4847 N, 85.4863 E
30	Karharia	Koderma	15	176.08	223.24	22.92	24.4813 N, 85.6588 E
31	Malkoko	Koderma	5	37.3	223.00	91.26	24.4609 N, 85.6301 E
			<b>4920</b>	<b>1739.08</b>	<b>1904.55</b>	<b>665.18</b>	
		<b>G. Total</b>	<b>27061</b>	<b>5167.69</b>	<b>4680.65</b>	<b>1824.25</b>	

**Enclave Villages:**

Sl. No.	Name of Village	Admm Block	House Hold	Total Population	S.C.	S.T.	Others	Forest Land (hac.)	Other Govt. Land	Agricultural Land (hac.)	GPS -Co-ordinets
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koderma Old R.F. (Phulwaria & Dumariatand)	Koderma	45	350	0	155	195	11625.12	109.80	77.35	24.4808 N, 85.5827 E
2	Chitarpur	Koderma	122	721	31	54	636		144.00	11.83	24.4796 N, 85.6505 E
3	Koderma New R.F.	Koderma	-	-	-	-	-		-	-	
4	Mahuatanr	Koderma	-	-	-	-	-		198	4.86	24.4709 N, 85.5676 E
5	Lokai	Koderma	318	1788	177	161	1450		157	13.47	24.4749 N, 85.6207 E
6	Beherwatanr	Koderma	175	1060	236	0	824		-	65.27	
7	Baghitant	Koderma							-	-	24.5290 N, 85.5997 E
8	Chhatarbar /Chechai	Koderma	917	5663	493	35	5135		54.87	18.14	24.4615 N, 85.5573 E
9	Chillitanr	Koderma	1	12	-	-	12	2896.95	-	-	24.4631 N, 85.5472 E
10	Semratari	Koderma	1	15	-	-	15		59.4	15.6	24.4814 N, 85.5461 E
11	Dubrajpur	Koderma	-	-	-	-	-		-	-	24.4724 N, 85.5387 E
12	Ranghintanr	Koderma	-	-	-	-	-		-	-	24.4825 N, 85.5338 E
13	Jungal Sarkar	Koderma	-	-	-	-	-		-	-	24.4763 N, 85.5530 E
14	Karharia	Koderma	62	359	62	0	297		41.67	97.21	24.5860 N, 85.5817 E
15	Meghatari	Koderma	402	2191	1369	7	815	394.85	29.90	6.22	24.5768 N, 85.5741 E
16	Bisnutikar	Koderma	126	622	129	0	593		177.41	45.30	24.5757 N, 85.5847 E
17	Bisnupur	Koderma	94	573	0	0	573	145.85	20.00	107.00	24.5189 N, 85.5187 E
18	Sapha	Koderma	7	61	43	0	18		3.87	37.44	24.5187 N, 85.5316 E
19	Indarwa	Koderma	317	2109	261	1	1847		137.00	19.50	24.4738 N, 85.6361 E
		<b>Total</b>	<b>2587</b>	<b>15524</b>	<b>2801</b>	<b>413</b>	<b>12410</b>	<b>15062.77</b>	<b>1132.92</b>	<b>519.19</b>	

**Annexure –V****Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.  
  
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.